



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 09/2026/D-568

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 310854 दिनांक 02/07/2026 को निम्नांकित भूखण्ड का Name Transfer जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Shantanu Singh S/o Ashok Kumar Singh	मैसर्स ग्लेक्सी माईनिंग प्राणिलण् जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री देवेश शर्मा पुत्र श्री शिवशंकर	A-23	127.71 SQ. METER	Private	TIMES ESTATE PHASE-I	Name Transfer	निजी खातेदारी की योजना टाइम्स एस्टेट फेज-1 के भूखण्ड संख्या ए-23 क्षेत्रफल 127.71 व.मी.का फ्री होल्ड पट्टा दिनांक 17.10.2025 को मैसर्स ग्लेक्सी माईनिंग प्राणिलण् जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री देवेश शर्मा पुत्र श्री शिवशंकर के पक्ष में जारी किया गया है। तत्पश्चात उक्त भूखण्ड संख्या ए-23 क्षेत्रफल 127.71 व.मी. को मैसर्स ग्लेक्सी माईनिंग प्राणिलण् जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री देवेश शर्मा पुत्र श्री शिवशंकर द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 24.12.2025 को मैसर्स अजमेर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

कोलोनाईजर्स
प्राईवेट लिमिटेड
जरिये निदेशक श्री
धुरव सहगल पुत्र
श्री धर्मपाल
सहगल को बेचान
किया गया।
तत्पश्चात उक्त
भूखण्ड संख्या
ए-23 क्षेत्रफल
127.71 व.मी. को
मैसर्स अजमेर
कोलोनाईजर्स
प्राईवेट लिमिटेड
जरिये अधिकृत
हस्ताक्षरकर्ता श्री
नरेश कोठारी पुत्र
श्री सुरेन्द्र सिंह
कोठारी द्वारा
जरिये पंजीकृत
विक्रय पत्र दिनांक
24.06.2026 को
श्री शान्तनु सिंह
पुत्र श्री अशोक
कुमार सिंह को
बेचान किया गया।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Name Transfer जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपति online सबमिट करें, अन्यथा आपति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Shantanu Singh S/o Ashok Kumar Singh को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे। प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004